"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11263/वि. स./विधान/2015 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 29 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 29 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) की धारा 4 की उप-धारा (3) में,-

   (एक) खण्ड (तीन) में,-

   (क) उप-खण्ड (क) में, शब्द तथा चिन्ह "सिंचाई" के पश्चात्, चिन्ह तथा शब्द ",पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग" अंत:स्थापित किया जाये; और

   (ख) शब्द "पांच वर्ष", जहां कही भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

   (दो) खण्ड (तीन) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "परंतु यह कि खण्ड (तीन) के मामले में, अपवादात्मक परिस्थितियों में, राज्य शासन, दो वर्ष की विहित न्यूनतम अवधि को, एक वर्ष या एक वर्ष से कम, शिथिल कर सकेगा.

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 4 सन् 2015) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत: छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अनुसार, मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के लिये छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का सदस्य बनने हेतु अपेक्षित न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष है जिसे अपवादात्मक परिस्थितियों में 3 वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है. तथापि, उक्त मण्डल में 3 वर्ष या 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव धारण करने वाले मुख्य अभियंता नहीं है और इसलिये अधिकरण के तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति में कठिनाईयां उद्भूत हो रही है. अत: इस विधेयक में विशेष परिस्थितियों में उक्त अवधि को 1 वर्ष या उससे भी कम करने के लिये राज्य सरकार को शक्ति दिया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 8 दिसम्बर, 2015

महेश गागड़ा
विधि एवं विधायी कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (तीन) का सुसंगत उद्धरण-

* * * * * * * * * * * * * *

(तीन) वह-

(क) लोक निर्माण, सिंचाई या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राज्य सरकार की सेवा में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से मुख्य अभियंता न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक मुख्य अभियंता न रह चुका हो; या

(ख) छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल की सेवा में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से मुख्य अभियंता न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक मुख्य अभियंता न रह चुका हो; या

(ग) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से ज्येष्ठ उप-महालेखाकार न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक ज्येष्ठ उप महालेखाकार न रह चुका हो.

"परंतु खण्ड (तीन) की दशा में, असाधारण परिस्थितियों में, राज्य सरकार पांच वर्ष की विहित न्यूनतम कालावधि को शिथिल करके तीन वर्ष कर सकेगी."

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.